न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 389 सन 2018

अनवान :–

1. दुलीचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. सरस्वती 2 गायत्री 3 राजवती पुत्रीया भादरराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक : 24.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 84/76 के प0न0 362/389(5) किला न0 1/0.228 2/0.228 ,3/0.228 ,4/0.228 ,5/0.202 ,मु0न0 94/37 के किला न0 0 की 0.152हैक गै0मु0 रास्ता कुल 1.2660हैक भूमि में से भादरराम का 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/127 के प0न0 361/388(55) के किला न0 4 ता 7 ,14 ,15/प्रत्येक 0.253हैक , प0न0 362/388(56) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,18 ता 25/प्रत्येक 0.253हैक मु0न0 73/24 किला न0 0 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता कुल 5.8170हैक में से भादरराम 1/3 हिस्सा है तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 62/60 के प0न0 370/394(11) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.228 ,4/0.228 ,7 ता 9 ,12 ता 14/प्रत्येक 0.253हैक प0न0 0 मु0न0 74/5 के किला न0 0.1010गै0मु0रास्ता कुल 2.5310हैक में से भादरराम का 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 62/52 के प0न0 371/392(90) के किला न0 21 ता 23/प्रत्येक 0.253हैक प0न0 370/391(91) किला न0 21 ता 25/0.253हैक प0न0 370/393(92) के किला 1 ता 24 एवं प0न0 371/393(93) के किला न0 1 ,2 ,3 ,8 ता 13 ,18 ता 20 प0न0 0 मु0न0 18 के किला न0 0/2 की 0.3030हैक गै0मु0 रास्ता कुल 11.1280हैक में से भादरराम का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मगलूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों मगलूराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मगलूराम का देहान्त हो गया है मगलूराम की पत्नि का भी देहान्त होने पर वादी भूमि का हकदार उसका पुत्र भादरराम हुआ भादरराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादी भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों मगलूराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मगलूराम का देहान्त हो गया है मगलूराम की पत्नि का भी देहान्त होने पर वादी भूमि का हकदार उसका पुत्र भादरराम हुआ भादरराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष्ज्ञ मे किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष मे किया हुआ है इसिलये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है ।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 84/76 की कुल 1.2660हैक , मे से भादरराम का 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/127 की कुल 5.8170हैक,भूमि में से भादरराम का 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 62/60 की कुल 2.5310हैक भूमि में से भादरराम का 1/6 हिस्सा तथा रोही मोजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 62/52 की कुल 11.1280हैक भूमि में से भादरराम का 1/6 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है भादरराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– पांच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official